

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

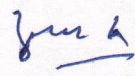
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवानिवृत्त/कनि० लेखाकार/अलेसे-III/2020/5942 दिनांक:- 21-8-2020

शुद्धि आदेश

विभागीय सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 38/2020-21 दिनांक 29.04.2020 में क्र.सं. 03 पर अवस्थित श्री राजकुमार स्वामी, कनि० लेखाकार (लिनक नं. 1556) के सम्मुख अंकित “विशेष विवरण” के कॉलम में “भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर द्वारा दर्ज अपराध संख्या 120/2006 माननीय न्यायालय में विचाराधीन है” पढ़ा जावे।

शेष आदेश पूर्ववत् रहेगा।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवानिवृत्त/कनि० लेखाकार/अलेसे-III/2020/5942 दिनांक:- 21-8-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज० जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
4. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित/प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो तो अविलम्ब इसकी सूचना सम्बन्धित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवावे ताकि उचित कार्यवाही की जा सके।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित कनि० लेखाकारों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/कार्मिक-II/कार्मिक-III) कार्यालय हाजा।
9. डीपीसी अनुभाग/जांच अनुभाग/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक-III